

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़
पीठासीन अधिकारी
प्रकरण सं० 65/अपील/18

भवानीसिंह पालावत, आर०ए०एस०
तारीख दायरा 17.05.18

फूलचन्द आ० शंकरलाल लोढा निवासी बांसखेड़ी लोढान तहसील अकलेरा

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अकलेरा

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 07.12.17 मि०न० 2369/17

उपस्थित:- श्री तंवरसिंह झाला अभिभाषक अपीलान्त

--: निर्णय :-

दिनांक 27.06.18

अपीलान्त ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 07.12.17 जिसके द्वारा अपीलान्त को आराजी ख०न० 156 की 3 बीघा बंजड़ भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 105 /रू० जुर्माना व 2 माह के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है- मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार को आधार मानते हुए निर्णय पारित किया गया है-प्राथी द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ दिया है ओर पेनल्टी राशि भी जमा करा दी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। योग्य वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर से कब्जा पूर्व में ही हटा लिया है व पेनल्टी राशि जमा राज करा दी है-भविष्य में पुन अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावेगा दौराने बहस उनके द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ने बाबत तहसीलदार अकलेरा की रिपोर्ट पेश करते हुए अनुरोध किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.17 निरस्त किया जाकर अपीलान्त को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर गौर किया। वकील अपीलान्त द्वारा विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटाने बाबत तहसीलदार की रिपोर्ट पेश की एवं भविष्य में अपीलान्त द्वारा पुनः कब्जा नहीं करने हेतु कहा है। अतः इसलिये हमारी राय में अपीलान्त कुछ राहत पाने का पात्र हो गया है-परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर शेष निर्णय यथावत रखा जाता है-निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे-पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 27.06.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानीसिंह पालावत)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
(प०)

